न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/06/2015 तारीख रजु 01.01.2015

उनवान

1. सुमेर पुत्र मंगल जाति ब्राहामण निवासी खेडी हैवत तहसील सूरौठ जिला करौली
2. कुम्हेर पुत्र मंगल जाति ब्रहामण निवासी खेडी हैवत तहसील सूरौठ जिला करौली

———वादीगण 02

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, जिला करौली
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन
3. नेता पुत्र जगमोहन जाति जोगी निवासी खेडी हैवत तह0 सूरौठ जिला करौली
4. धर्मचन्द पुत्र मंगल जाति ब्रहामण निवासी भीतरबाडी बयाना तह0 बयाना जिला भरतपुर
5. बासुदेव पुत्र मंगल जाति ब्रहामण निवासी खेडी हैवत तह0 सूरौठ जिला करौली
6. राजेन्द्र पुत्र मंगल जाति ब्रहामण निवासी सुनारगली बयाना तह0 बयाना जिला भरतपुर

———प्रतिवादीगण 06

उपस्थितिः—

वादी की ओर से :— अशोक नीमनका
प्रतिवादी की ओर से :— कोई नहीं

निर्णय

दिनांक 29.09.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा स्थित ग्राम खेडी हैवत तहसील सूरौठ के खसरा नं0 1100/3, 1100/4, नवीन खसरा नं0 1865 में दावा बावत् दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेद्याज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 06/2[illegible] वगै0 बनाम स्टेट नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 13:52:44 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन